

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)


संख्या: प. 1(8) वित्त/साविलेनि/2011

जयपुर, दिनांक: 11-7-2012

आदेश संख्या: - 22/2012


आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 50 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्वारा उपापन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना करती है जिसके प्रमुख अधिकारी शासन सचिव, वित्त (बजट) होंगे। उक्त प्रकोष्ठ के सुचारु संचालन के लिए संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) को राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रकोष्ठ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) व (3) में वर्णित कार्य सम्पादित किए जायेंगे।

  
(डॉ. गाविन्द शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राज. जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. रक्षित पत्रावली।
8. सि.ए.एम. सहायक, वित्त विभाग को  
यका 217 आ. 47।

  
(उर्मिला जोशी)  
संयुक्त सचिव